राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/एफ. 12 (सी)/कअ/राजस्व/2022/ 185 . दिनांक :-18/05/2022

:- आदेश -:

ब्यावर-मसूदा-गोयला-सडक एवं अरॉई -सरवाड़ सड़क विकास हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु,इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व /2021/107 दिनांक 22.03.2021 से ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं 1226 रकबा 17.434 हैक्टेयर भूमि में से 06.25 है0 भूमि वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार आरक्षित की गई थी।

उपवन संरक्षक अजमेर के पत्रांक 5932 दिनांक 27.08.2021से उपरोक्तानुसार ग्राम कानाखेड़ा के खसरा नं 1226 मे से आरक्षित गैर वन भूमि को वन प्रबंधन एवं साधारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही होना अवगत कराते हुए किसी अन्य भूमि का आरक्षण किये जाने मांग की गई।

उक्त पत्र दिनांक 27.08.2021 के क्रम में इस कार्यालय में संधारित चयनित लैण्ड बैंक में से उपयुक्त भूमि के चिन्हिकरण करने बाबत् इस कार्यालय में दिनांक 09.10.2021 को आयोजित बैठक में उपस्थित वन विभाग के अधिकारी गण को अवगत कराया गया, उक्त लैण्ड बैंक बाबत् अपेक्षित प्रतिवेदन वन विभाग के स्तर से लंबित रहने के कारण प्रकरण के निस्तारण हेतु अधिकारिक स्तर पर विचार विमर्श उपरांत ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन में उल्लेखित प्रयोजनार्थ गैर-वन भूमि चिन्हित करने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 28.04.2022 से संयुक्त कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी द्वारा ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन के खसरा नं. 754 सवाईचक भूमि को वन भूमि से लगता हुआ तथा पौधारोपण एवं वन विभाग हेतु उपयुक्त होना अवगत कराया गया है।

इस बाबत् उपखण्ड अधिकारी पीसॉगन के द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन के खसरा नं 754 किस्म बा-3 रकबा 19.44 है0 भूमि को वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु आरक्षण किये जाने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रतिवेदनों के आधार पर निम्नानुसार आदेश एतदद्वारा प्रदान किये जाते है:-

1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व /2021/107 दिनांक 22.03.2021 से आरक्षित ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं 1226 रकबा 17.434 हैक्टेयर भूमि में से 06.25 है0 भूमि को वन विभाग द्वारा अनुपयुक्त बताये जाने के कारण अनारक्षित कर सवाईचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान किये जाते है।
2. ब्यावर-मसूदा-गोयला-सडक एवं अरॉई -सरवाड़ सडक विकास हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु, गैर-वन भूमि के आरक्षण बाबत् इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 28.04.2022 से गठित सयुंक्त कमेटी की रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी पीसॉगन के द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन के खसरा नं 754 किस्म बा-3 रकबा 19.44 है0 में से 06.25 है0 भूमि वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार नीचे अंकित शर्तो के अध्यधीन आरक्षित करने के एतद् द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है।

शर्तें :-

1. आरक्षित भूमि का उपयोग दृढ़तापूर्वक उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित की गई है।
2. आरक्षित भूमि बाबत् राज्य सरकार के नियम/अधिसूचना/परिपत्रो की पूर्ण पालना की जायेगी।

आरक्षित भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

संलग्न : नक्शा ट्रेस -1

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक :- सम/2022/ 8075-81. दिनांक :-18/मई 2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपवन संरक्षक अजमेर।
2. परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
3. उपखण्ड अधिकारी मसूदा/पीसॉगन।
4. तहसीलदार मसूदा/पीसॉगन को प्रेषित कर लेख है कि नियमान्तर्गत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शा ट्रेस से तरमीम की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। *तहसीलदार पीसांगन को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार आरक्षण उपरांत शेष भूमि लैण्ड बैंक के रूप में संचित रखी गई है, भविष्य में वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु, गैर-वन भूमि का आरक्षण आवश्यकतानुसार उक्त संचित भूमि में से किया जायेगा।*
5. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अति.जिला कलक्टर (प्रशा.),एवं
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,
कलक्ट्रेट अजमेर